न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –08/2026 (प्रा0पत्र)
जीसीएमएस नं0 2026/146

सरकार जर्ये पुलिस थाना आरकेपुरम कोटा शहर जिला कोटा।
अभियोगी

बनाम

इकबाल कुरेशी पुत्र अब्दुल रफीक निवासी लालपुरा, थाना शाजापुर जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश)
प्रतिपक्षी, आवेदक

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 329/2024 **थाना** आरकेपुरम कोटा **जुर्म अन्तर्गत 3,5,8,9 गोवंश** अधिनियम व 336(2), 345(3) बीएनएस 2023, **प्रार्थना पत्र** बाबत रिलीज किये जाने वाहन ट्रक नं0 RJ17-GB-1503 Ashok Leyland BS-6 इंजन नं0 NPEZ42 3533 चेचिस नं0 MBIAZGCD4PA N N3362

उपस्थितः–
1. श्री फारूख हुंसेन, अभिभाषक – आवेदक प्रार्थी
2. सहा0 लोक अभियोजक –पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 13 .05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र इकबाल कुरेशी पुत्र अब्दुल रफीक निवासी लालपुरा, थाना शाजापुर मध्य प्रदेश द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण पुलिस थाना आरकेपुरम द्वारा दिनांक 26.9.2024 को दर्ज कर प्रार्थी का वाहन **ट्रक नं0 RJ17-GB-1503 Ashok Leyland BS-6 इंजन नं0 NPEZ42 3533 चेचिस नं0 MBIAZGCD4PA N N3362** को जप्त कर लिया है जो थाना आरकेपुरम की कस्टडी में है । प्रकरण में चालान पेश हो चुका है पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी वाहन मालिक है । प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है प्रार्थी का वाहन खडे रहने पर आर्थिक क्षति हो रही है । आदेशानुसार जमानतनामा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है । अतः उक्त वाहन प्रार्थी को रिलीज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ पुलिस थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/2113 दिनांक 19.4.2026 से प्राप्तशुदा है । वकील प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का वाहन का वाहन **ट्रक नं0 RJ17-GB-1503 Ashok Leyland BS-6** को जप्त कर लिया है जो थाना आरकेपुरम की कस्टडी में है । प्रकरण में चालान पेश हो चुका है पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी वाहन मालिक है । प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है प्रार्थी का वाहन खडे रहने पर आर्थिक क्षति हो रही है । आदेशानुसार जमानतनामा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है । अतः उक्त वाहन **ट्रक नं0 RJ17-GB-1503 Ashok Leyland BS-6** को प्रार्थी को रिलीज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

4. पेरोकार सरकार राहा लोक अभियोजन द्वारा अपनी बहस में कथन किया है प्रार्थी को थाना आरकेपुरम द्वारा गोवंश से भरे वाहन **ट्रक नं0 ट्रक नं0 RJ17-GB-1503 Ashok Leyland BS-6** में 25 गोवंश जीवित अवस्था में थे जिन्हें नगर निगम गोशाला के सुपुर्द किया गया । उक्त वाहन को सुरक्षार्थ थाने में खड़ा है । उक्त वाहन में क्रूरतापूर्वक ठूंसाठूंसा कर बर्बतापूर्वकर गोवंश भरकर परिवहन करना पाये जाने से प्रार्थीगण के विरूद्व अपराध धारा 5,6,8,9, राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान होकर चालान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–3 कोटा में केस नम्बर 57515 /2025 दर्ज होकर लम्बित न्यायालय है । अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत वाहन का निपटारा करने हेतु साक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । थानाधिकारी आरकेपुरम द्वारा गोवंश से भरे वाहन **ट्रक नं0 RJ17-GB-1503 Ashok Leyland BS-6 इंजन नं0 NPEZ42 3533 चेचिस नं0 MBIAZGCD4PA N N3362** में 25 गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए पाये गये जाने पर । प्रार्थीगण के विरूद्व अपराध धारा 5,6,8,9, राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान होकर चालान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–3 कोटा में पेश हो चुका है ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि वाहन सुपुर्दगीदार 5,00,000/– पांच लाख रूपये का जमानतनामा एवं 5,00,000/– पांच लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर दे तो मुल्जिमान के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना वाहन रिलीज के आदेश सशर्त दिये जाते है । जब भी किसी भी न्यायालय में उक्त वाहन की आवश्यकता होगी तो तुरन्त न्यायालय आदेश की पालना में सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा वाहन का विक्रय आदि से खुर्द बुर्द नहीं करेगा । बाद पालना वाहन रिलीज हेतु थानाधिकारी आरकेपुरम कोटा शहर को इस आशय की तहरीर जारी की जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा